भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2044

03 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: रेशम कीटपालकों के लिये प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना

2044. डॉ॰ मोहम्मद जावेदः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रेशम कीटपालन से जुड़े किसानों को शामिल किया गया है और यदि हां, तो लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार में रेशम कीटपालन में लगे किसानों के उत्थान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेशम कीटपालन के लिए बिहार को कितनी राशि आवंटित की गई है और कितनी राशि का उपयोग हुआ है;

(ङ) रेशम कीटपालन से संबंधित योजना के तहत किसानों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने बिहार में रेशम कीटपालन के विकास के लिए नोडल बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) देश में सभी भू-जोत किसान परिवारों, जिनके पास खेती योग्य भूमि है, को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने दिनांक 01.12.2018 से एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम नामत: 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम-किसान) चलाई है। इस स्कीम का उद्देश्य विभिन्न आदानों की खरीद के लिए सभी भू-जोत किसान परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है, ताकि उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार, अपेक्षित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत, कुछ अपवर्जनों के अधीन, 6000 रूपए प्रति वर्ष केंद्र सरकार द्वारा सीधे पात्र किसानों के बैंक में जारी किया जाता है।

पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और वेब-पोर्टल **www.pmkisan.gov.in** पर उनके सही विवरण अपलोड करने की जिम्मेदारी राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की होती है। लाभार्थियों को वित्तीय लाभ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त किसानों के डेटा और आधार/पीएफएमएस के माध्यम से उनकी वैधता के आधार पर जारी किए जाते हैं। लाभार्थियों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में है।

रेशम कीट उत्पादन में लगे किसान, जो पीएम-किसान स्कीम के तहत पात्र हैं, स्कीम के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) से (च) वस्त्र मंत्रालय ने अपने रेशम बोर्ड के माध्यम बिहार सहित देश में रेशम उद्योग के समग्र विकास के लिए "सिल्क समारा" नाम से एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम की शुरूआत की है। इस स्कीम के तहत किसानों और अन्य हितधारकों के कल्याण के लिए विभिन्न लाभार्थी उन्मुख घटक की शुरूआत की गई है। इस स्कीम के तहत रेशमकीट बीज उत्पादकों, कोकून उत्पादकों, रेशम विक्रेताओं और बुनकरों को कवर करने वाले कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

बिहार में रेशम समग्र के तहत जारी और उपयोग की गई निधि के ब्यौरे निम्नलिखित है:

(लाख रूपए में)

2016-17		2017-18	
निर्मुक्त निधि	प्राप्त यूसी	निर्मुक्त निधि	प्राप्त यूसी
370.61	155.64	301.33	86.21

क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, कोलकाता रेशम कृषि निदेशालय, बिहार सरकार के माध्यम से बिहार में रेशम कृषि संबंधी कार्यकलापों के विकास का समन्वय करता है।

अ.ता.प्र.सं.2044

अनुबंध-।

राज्य के नाम	1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच पंजीकृत लाभार्थियों की भुगतान स्थिति				
	पीएम किसान पोर्टल द्वारा सत्यापित डेटा	एफटीओ द्वारा उत्पन्न			
		पहली किस्त	दूसरी किस्त	तीसरी किस्त	चौथी किस्त
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	11,893	11,756	11,664	11,321	10,616
आंध्र प्रदेश	38,45,946	36,40,227	34,38,099	33,78,914	31,35,640
अरूणालच प्रदेश	18,500	16,796	16,651	16,313	2,852
असम	16,96,809	14,04,184	13,76,440	10,17,575	9,53,608
बिहार	7,36,490	7,12,317	7,09,760	7,09,726	6,81,429
चंडीगढ़	271	265	267	267	247
छत्तीसगढ़	2,68,202	2,43,070	2,42,439	2,03,249	1,22,740
दादर एवं नगर हवेली	6,167	6,059	6,065	6,035	5,762
दमन एवं दीव	2,663	2,594	2,584	2,535	2,331
दिल्ली	2,504	2,196	2,147	2,128	1,881
गोवा	3,947	3,898	3,860	3,858	3,196
गुजरात	31,47,062	30,54,033	30,18,467	29,99,369	26,07,158
हरियाणा	12,53,982	11,72,272	11,63,925	11,55,158	10,01,515
हिमाचल प्रदेश	5,88,073	5,73,338	5,69,603	5,67,195	5,41,188
जम्मू एवं कश्मीर	6,58,874	5,99,814	6,00,432	5,80,478	5,75,202
झारखंड	6,13,040	5,26,104	4,33,643	4,13,959	3,22,725
कर्नाटक	4,25,309	4,14,462	4,13,321	3,97,014	3,70,126
केरला	26,13,786	24,27,808	23,98,022	23,89,593	19,95,879
लक्षदीप	1,628	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	19,077	14,186	14,074	13,688	128
महाराष्ट्र	42,34,983	38,44,370	34,50,445	33,57,162	20,87,300
मणिपुर	42,403	39,344	38,482	38,233	31,669
मेघालय	26,385	24,865	24,688	24,666	24,665
मिजोरम	36,910	33,966	33,524	33,202	21,600
नागालैंड	43,519	38,275	36,690	36,635	30,070
ओडिशा	9,84,118	9,73,308	9,54,829	6,00,998	3,94,684
पुडुचेरी	6,362	6,313	6,225	5,864	3,773
पंजाब	15,58,642	14,78,793	14,74,800	14,67,311	14,32,996
राजस्थान	30,11,468	28,04,377	27,73,845	26,39,957	18,84,456
सिक्किम	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	27,73,646	26,72,711	26,48,898	26,46,097	23,17,369
तेलंगाना	26,67,200	25,93,409	25,56,936	25,37,955	22,91,010
त्रिपुरा	1,63,091	1,60,173	1,59,621	1,59,524	1,41,417
उत्तर प्रदेश	1,53,87,313	1,33,43,464	1,27,94,225	1,25,71,931	77,28,816
झारखंड	5,91,109	5,56,588	5,52,195	5,50,010	4,60,582
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
कुल:	**4,74,41,372**	**4,33,95,335**	**4,19,26,866**	**4,05,37,920**	**3,11,84,630**

अ.ता.प्र.सं.2044

अनुबंध-II

राज्य का नाम	1 अप्रैल, 2019 से 31 जुलाई 2019 के बीच पंजीकृत लाभार्थियों की भुगतान स्थिति				
	पीएम किसान पोर्टल द्वारा सत्यापित डेटा	एफटीओ द्वारा उत्पन्न			
		पहली किस्त	दूसरी किस्त	तीसरी किस्त	चौथी किस्त
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,202	4,105	4,104	3,745	लागू नहीं
आंध्र प्रदेश	8,40,501	7,92,581	7,79,436	7,35,398	लागू नहीं
अरूणालच प्रदेश	9,390	8,719	8,709	7,842	लागू नहीं
असम	15,61,044	12,33,960	9,80,526	9,75,975	लागू नहीं
बिहार	26,54,787	25,53,457	25,42,285	24,47,918	लागू नहीं
चंडीगढ़	0	0	0	0	लागू नहीं
छत्तीसगढ़	13,78,161	12,39,944	12,37,532	7,90,270	लागू नहीं
दादर एवं नगर हवेली	2,780	2,748	2,746	2,622	लागू नहीं
दमन एवं दीव	677	660	613	560	लागू नहीं
दिल्ली	8,787	7,987	7,929	6,939	लागू नहीं
गोवा	2,665	2,256	2,023	1,332	लागू नहीं
गुजरात	15,75,826	15,19,326	15,05,917	13,99,478	लागू नहीं
हरियाणा	2,10,675	1,92,351	1,91,993	1,88,061	लागू नहीं
हिमाचल प्रदेश	2,21,276	2,16,060	2,15,423	2,06,451	लागू नहीं
जम्मू एवं कश्मीर	2,36,384	2,18,621	2,15,125	2,10,766	लागू नहीं
झारखंड	3,69,012	3,17,863	3,10,295	2,47,892	लागू नहीं
कर्नाटक	34,25,437	33,57,860	33,20,794	32,07,464	लागू नहीं
केरला	2,81,962	2,65,963	2,63,879	2,18,024	लागू नहीं
लक्षदीप	33	0	0	0	लागू नहीं
मध्य प्रदेश	42,83,207	39,58,109	34,61,086	30,91,932	लागू नहीं
महाराष्ट्र	33,69,962	30,80,715	30,10,362	21,44,707	लागू नहीं
मणिपुर	17,514	16,139	16,103	13,746	लागू नहीं
मेघालय	12,742	12,256	12,245	12,228	लागू नहीं
मिजोरम	31,304	25,386	25,378	21,153	लागू नहीं
नागालैंड	67,262	62,318	62,247	52,397	लागू नहीं
ओडिशा	22,47,861	21,02,056	17,11,642	14,64,518	लागू नहीं
पुडुचेरी	2,726	2,694	2,677	2,139	लागू नहीं
पंजाब	0	0	0	0	लागू नहीं
राजस्थान	18,39,310	15,74,181	15,56,490	10,82,246	लागू नहीं
सिक्किम	3,722	1,381	11	0	लागू नहीं
तमिलनाडु	6,30,847	6,06,794	6,05,578	4,95,077	लागू नहीं
तेलंगाना	8,05,140	7,58,249	7,57,716	6,29,838	लागू नहीं
त्रिपुरा	25,932	25,312	25,284	22,903	लागू नहीं
उत्तर प्रदेश	46,45,014	34,15,751	33,09,273	24,19,865	लागू नहीं
झारखंड	75,036	72,221	71,800	62,050	लागू नहीं
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
कुल:	**3,08,41,178**	**2,76,48,023**	**2,62,17,221**	**2,21,65,536**	**0**

*0- लागू नहीं चूंकि लाभार्थी पंजीकरण कराने के बाद की तरीख से पीएम-किसान के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र होते हैं।

अ.ता.प्र.सं.2044

अनुबंध-।।।

राज्य का नाम	1 अगस्त, 2019 से 31 नवम्बर, 2019 के बीच पंजीकृत लाभार्थियों की भुगतान स्थिति				
	पीएम किसान पोर्टल द्वारा सत्यापित डेटा	एफटीओ द्वारा उत्पन्न			
		पहली किस्त	दूसरी किस्त	तीसरी किस्त	चौथी किस्त
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	614	598	587	लागू नहीं	लागू नहीं
आंध्र प्रदेश	1	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं
अरूणालच प्रदेश	23,131	19,541	18,802	लागू नहीं	लागू नहीं
असम	3,80,712	62,909	62,870	लागू नहीं	लागू नहीं
बिहार	16,22,595	15,42,876	14,58,758	लागू नहीं	लागू नहीं
चंडीगढ़	191	190	158	लागू नहीं	लागू नहीं
छत्तीसगढ़	3,15,772	2,78,046	2,04,188	लागू नहीं	लागू नहीं
दादर एवं नगर हवेली	1,523	1,514	1,514	लागू नहीं	लागू नहीं
दमन एवं दीव	189	184	175	लागू नहीं	लागू नहीं
दिल्ली	1,734	1,577	1,552	लागू नहीं	लागू नहीं
गोवा	511	496	397	लागू नहीं	लागू नहीं
गुजरात	2,28,831	2,13,845	2,02,799	लागू नहीं	लागू नहीं
हरियाणा	91,561	83,647	82,160	लागू नहीं	लागू नहीं
हिमाचल प्रदेश	60,804	59,067	58,502	लागू नहीं	लागू नहीं
जम्मू एवं कश्मीर	90,933	85,369	84,135	लागू नहीं	लागू नहीं
झारखंड	7,75,059	6,05,549	0	लागू नहीं	लागू नहीं
कर्नाटक	11,19,264	10,70,343	10,50,545	लागू नहीं	लागू नहीं
केरला	58,026	55,596	53,941	लागू नहीं	लागू नहीं
लक्षदीप	38	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
मध्य प्रदेश	17,30,073	13,51,769	11,82,921	लागू नहीं	लागू नहीं
महाराष्ट्र	6,88,232	6,45,876	5,59,456	लागू नहीं	लागू नहीं
मणिपुर	45,840	43,224	42,593	लागू नहीं	लागू नहीं
मेघालय	30,954	27,931	27,894	लागू नहीं	लागू नहीं
मिजोरम	10,447	7,759	6,693	लागू नहीं	लागू नहीं
नागालैंड	69,009	65,262	64,584	लागू नहीं	लागू नहीं
ओडिशा	5,60,337	5,53,293	2,64,139	लागू नहीं	लागू नहीं
पुडुचेरी	297	283	278	लागू नहीं	लागू नहीं
पंजाब	8,11,435	7,61,400	7,44,965	लागू नहीं	लागू नहीं
राजस्थान	9,63,035	6,20,197	4,90,095	लागू नहीं	लागू नहीं
सिक्किम	7,329	20	0	लागू नहीं	लागू नहीं
तमिलनाडु	1,30,728	1,25,837	1,17,871	लागू नहीं	लागू नहीं
तेलंगाना	1,38,702	1,27,921	99,542	लागू नहीं	लागू नहीं
त्रिपुरा	5,181	5,036	4,908	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्तर प्रदेश	20,16,006	15,08,450	10,01,170	लागू नहीं	लागू नहीं
झारखंड	50,498	47,760	46,289	लागू नहीं	लागू नहीं
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
कुल:	**1,20,29,592**	**99,73,366**	**79,34,482**	**0**	**0**

*0- लागू नहीं चूंकि लाभार्थी पंजीकरण कराने के बाद की तरीख से पीएम-किसान के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र होते हैं।

अ.ता.प्र.सं.2044

अनुबंध-IV

राज्य का नाम	1 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2020 के बीच पंजीकृत लाभार्थियों की भुगतान स्थिति				
	पीएम किसान पोर्टल द्वारा सत्यापित डेटा	एफटीओ द्वारा उत्पन्न			
		पहली किस्त	दूसरी किस्त	तीसरी किस्त	चौथी किस्त
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	203	60	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
आंध्र प्रदेश	7,58,590	6,84,975	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अरूणालच प्रदेश	15,474	12,801	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
असम	28,234	1,719	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
बिहार	9,44,742	6,63,905	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
चंडीगढ़	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
छत्तीसगढ़	2,79,917	1,19,762	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दादर एवं नगर हवेली	203	130	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दमन एवं दीव	153	21	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दिल्ली	1,582	1,207	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
गोवा	2,453	827	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
गुजरात	2,54,222	1,56,050	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
हरियाणा	1,24,071	6,849	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
हिमाचल प्रदेश	30,176	23,642	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
जम्मू एवं कश्मीर	62,618	44,302	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
झारखंड	9,948	3,108	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कर्नाटक	1,81,247	69,780	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
केरला	62,330	50,701	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
लक्षदीप	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मध्य प्रदेश	701971	2,71,480	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महाराष्ट्र	1430822	9,18,325	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मणिपुर	169053	1,20,793	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मेघालय	18285	11,639	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मिजोरम	1336	1,015	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
नागालैंड	8883	5,158	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ओडिशा	123	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पुडुचेरी	1048	450	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पंजाब	1,312	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
राजस्थान	5,99,658	2,25,376	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सिक्किम	709	214	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
तमिलनाडु	2,29,106	1,77,800	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
तेलंगाना	38,286	2,135	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
त्रिपुरा	8585	6,412	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्तर प्रदेश	12,80296	4,97,444	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
झारखंड	51,143	40,907	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
कुल:	**72,96,779**	**41,18,987**	**0**	**0**	**0**

*0- लागू नहीं चूंकि लाभार्थी पंजीकरण कराने के बाद की तरीख से पीएम-किसान के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र होते हैं।

****